संख्या- 102 /2023/ 723 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2023

विषय- दिनांक 17-19 नवम्बर 2022 के मध्य राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन के आयोजन पर हुए वास्त्विक व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0- 1660 /उ0प्र0सं0नि0-2(2)/2000-।। दिनांक 01 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 17-19 नवम्बर 2022 के मध्य राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय रू0 8,37,225.00 के आधार पर शासनादेश संख्या- 197/2022/2495/चार-2022 दिनांक 15 नवम्बर 2022 द्वारा पूर्व में स्वीकृत रू0 6,50,000.00 के क्रम में अवशेष धनराशि रू0 1,87,225.00 (रू0 एक लाख सत्तासी हजार दो सौ पच्चीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 197/2022/2495/चार-2022 दिनांक 15 नवम्बर 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इसके संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03- अधिष्ठान -42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 102 /2023/ 723 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
4. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।